

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र - 28/25(2025/46)

तारीख रज्जू- 16/01/25

- आम जनता ग्राम अमावारा तहसील बामनवास जिला सवाई माघोपुर जरिये ग्रामवासी
1. नेहन्या पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर उम्र 43 साल पेशा काश्त।
 2. छोटेलाल पुत्र लालचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 40 साल पेशा काश्त।
 3. भौरीलाल पुत्र लालचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 55 साल पेशा काश्त।
- निवासीयान ग्राम अमावारा तहसील बामनवास जिला सवाई माघोपुर।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र गेन्दया जाति बैरवा निवासी ग्राम अमावारा तहसील बामनवास।
 2. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल जाति कोली निवासी ग्राम अमावारा तहसील बामनवास।
 3. सरकार जरिये अध्यक्ष महोदय, आवंटन सलाहकार समिति, उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी।
- अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक- 23.08.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम अमावारा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1547/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 25.06.1975 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 25.06.1975 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से स्थानान्तरण होकर वास्ते बहस न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी सं० 2 द्वारा आपत्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उभय पक्षों की आपत्ती प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने आपत्ती प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते बहस नियत है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा जिस वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। वह आराजी विपक्षीगण 1 नाथूलाल को आवंटित हुई है। आवंटन के पश्चात् से आवंटी नाथूलाल वादग्रस्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त करता आया है। नाथूलाल के वादग्रस्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते रहने पर विधि अनुसार बाद जांच गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई है। अप्रार्थी नाथूलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी को दिनांक 15.05.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विपक्षी सं० 2 सत्यनारायण को बेचान कर दी है तब से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी सं० 2 सत्यनारायण काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटित भूमि के गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् उपरोक्त प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पेश नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीपक्ष द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2018 को भी चलेन्ज नहीं किया गया है तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी



उक्त भूमि वर्तमान में बैक के नाम रहन दर्ज हैं, लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा बैक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए आवेदकगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है, साथ ही वकील अप्रार्थी सं० 2 ने आपत्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के मद सं० 1 में जो विवरण लिखा है, वह अपूर्ण लिखा है। सही विवरण यह है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 5337/4996 रकबा 62 ऐयर भूमि दिनांक 25.06.1975 को नाथू पुत्र गेंदया जाति बैरवा निवासी अमावरा तहसील बामनवास को साबिक खं०नं० 1547 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अलॉट हुयी थी। उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1547 का हाल खसरा नम्बर 4996 रकबा 61 बीघा 21 एयर किस्म बंजर है, और मौके पर यह भूमि नले व गढढेदार है। यह रिपोर्ट पटवारी से सरूपा पुत्र श्योराम बंजारा निवासी अमावरा के आवेदन पत्र में यह रिपोर्ट की है कि आवेदक द्वारा चाहा गया साबिक खसरा नम्बर 1547 हाल खसरा नम्बर 4996 रकबा 61 बीघा 21 बिस्वा किस्म बंजड़ है, और मौके पर यह भूमि नले व गढढेदार है। इस प्रकार यह भूमि काबिल अलॉटमेन्ट न होकर नले नाले, जंगलात व वन विभाग की भूमि है। जो कि अविधिक रूप से किस्म बंजड़ में परिवर्तन कर अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पिता सरूपा को अलॉट कर दी गयी थी। यह समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये है। गैरमुमकिन नाला, अंगीर नदी, नाले, पोखर आदि की भूमि धारा 16 टी०एन०सी० एक्ट एवं राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ यह भू-आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन / नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय उच्च न्यायालय के जनहित याचिका सं० 5336/03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार आर०आर०टी० 2005 (1) 59 व इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय आर०आर०टी० 2024 (1) पेज 228 में प्रतिपादित किया है कि वरवक्त आवंटन भूमि गैरमुमकिन नाला के रूप में दर्ज थी। जिसका आवंटन के रूप में दर्ज की जो कि भूमि आवंटन के योग्य नहीं थी, न भू-प्रबन्ध विभाग किस्म को परिवर्तन करने हेतु सक्षम था। आवंटन का आदेश व खातेदारी रद्द किये जाने का आदेश दिया गया तथा उक्त भूमि गैरमुमकिन नाले में पुनः दर्ज की गयी। आवेदक नाथू पुत्र गेंदया द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र में अपनी उम्र 23 वर्ष व परिवाद के सदस्यों की संख्या 6 बताई है। इसी प्रकार आवेदन पत्र के हल्फनामों पर नाथू पुत्र गेंदया की निशानी न होकर नाथू पुत्र कजोडया की निशानी है। सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा अपने आदेश में नाथू पुत्र गेंदया न लिखकर बाबूलाल पुत्र गेंदया लिखा गया है। ये समस्त कार्यवाही दिनांक 25.06.1975 को आवेदन पत्र किया गया। आवेदन पत्र की जांच की गयी व आवेदन पत्र में ही तत्कालीन अधिकारी द्वारा अलॉटमेन्ट कर दिया गया। जो कि अलॉटमेन्ट नियमों व प्रावधानों के विपरीत है तथा पट्टा जो जारी किया गया है। उसमें नाथू पुत्र गेंदया की उम्र दर्ज नहीं है। इस भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी दिनांक 07.05.2018 को दर्ज की गयी है तथा दिनांक 08.10.2018 को इस भूमि का बेचान सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल कोली अप्रार्थी सं० 2 को कर दिया गया है। जबकि इस भूमि पर अलॉटी नाथूलाल पुत्र गेंदया अप्रार्थी सं० 1 व क्रेता अप्रार्थी सं० 2 सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल का कब्जा न होकर वन विभाग का कब्जा है। इसी प्रकार खं०नं० 5336/4996 रकबा 0.62 है० को नाथू पुत्र कजोडमल से अप्रार्थी सं० 2 सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल से खरीदना बताया है। जिसकी कि अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, साथ ही वकील प्रार्थी ने उक्त आपत्ती प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आरजीयात राजस्व रिकोर्ड खसरा गिरदावरी में बारानी दर्ज है। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि नदी नाले व जगलात (वन विभाग) की होना बताया है। लेकिन वकील प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी/खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि नदी नाले व जगलात (वन विभाग) की भूमि हो। वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2024 के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के उक्त आराजी खं०नं० सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल हिस्सा पूर्ण जाति कौली सा०देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता)एसबीआई शाखा सुकार के नाम दर्ज रिकोर्ड है। उक्त आराजी खं०नं० वर्तमान मौके पर जुता हुआ है। मौके पर कोई पक्का निर्माण नहीं है। वर्तमान में मौके पर खातेदार द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। वकील अप्रार्थी सं० 2 द्वारा उक्त वाद आराजीयात का जरिये रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थी सं० 2 को दिनांक 15.05.2018 को किया जा चुका है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आदिनांक तक चलेन्ज नहीं किया गया है, साथ ही वकील प्रार्थीगण द्वारा बैंक जो अहम पक्षकार है। उसे भी उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अप्रार्थी सं० 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं० 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी